11/5/22
पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप
की ओ. साहब की/ [illegible] पर उपस्थित है। अतः
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दि. 20/06/22

C/No 257/2020

09/05/22

Not Press प्रकरण
चलाना नहीं चाहते हैं
Mohan Lal

धीरू

कन्हैयालाल

फूलचन्द

[illegible]

प्रेम

विमला

अ.नि. [illegible]

अ.नि. [illegible]

वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई व पत्रावली को आगामी पेशी दि. 20.06.22 से तलब किये जाने बाबत पेश करने के कारण पत्रावली आज नियत तिथि से पूर्व पेश हुई। वकील प्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य सहमति से लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है। प्रार्थीगण उक्त प्रार्थना पत्र में अब कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। अतः उक्त प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहने से वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र को Not press किया गया।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज० काश्त० अधिनियम का इसी स्तर पर खारिज किया जाकर पत्रावली के क्रमांक शुमार होकर पत्रावली नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)